न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रानी जिला पाली

पीठासीन अधिकारी :–श्री रवि कांत सिंह (आर.ए.एस)
राजस्व विविध :– 04/2019
तारीख दायरा :– 26.12.2019
तारीख निर्णय:– 08-03-2022

प्रार्थी :–

1. हनवन्तसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह जाति राजपुत निवासी खौड, तहसील रानी जिला पाली, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी :–

1. भूमिधारी ,तहसीलदार रानी, जिला–पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राज.अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 08-03-2022

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट जरिये अधिवक्ता विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम खौड, पटवार हल्का खौड, तहसील रानी के खसरा नम्बर 1031/4, रकबा 2.8072 हैक्टेयर. खसरा नम्बर 1149/1 रकबा 1. 1730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164/4 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171/4 रकबा 3.4948 हैक्टेयर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.8552 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1031/2 रकबा 2.8072 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1149/3 रकबा 1.1730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164/2 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171/2 रकबा 3.4948 हैक्टेयर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.8552 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1148/1 रकबा 6.8845 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, ,खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 0. 1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1123 रकबा 10.9377 हैक्टेयर,. प्रार्थी कि सहखातेदारी भूमि विद्यमान है। उक्त आराजी में प्रार्थी के पिता स्व. गुमानसिंह पुत्र विरदसिंह कि मृत्यु हो जाने के बाद राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतदगी नामान्तरण [illegible] प्रार्थी का नाम इन्द्राज हुआ। राजस्व कर्मी द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय त्रुटीवश हडमतसिंह दर्ज कर दिया जो कि गलत है, प्रार्थी का वास्तिविक नाम हनवन्तसिंह है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:16:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रानी की ओर से प्रकरण में अपनी रिपोर्ट मय जवाब पेश की जो शामिल पत्रावली है।

08/03/22
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

क्रमशः पेज 02 पर

वकील प्रार्थी एवम् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम खौड, पटवार हल्का खौड, तहसील रानी के खसरा नम्बर 1031/4, रकबा 2.8072 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1149/1 रकबा 1.1730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164/4 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171/4 रकबा 3.4948 हैक्टेयर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.8552 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1031/2 रकबा 2.8072 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1149/3 रकबा 1.1730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164/2 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171/2 रकबा 3.4948 हैक्टेयर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.8552 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1148/1 रकबा 6.8845 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.0566 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1123 रकबा 10.9377 हैक्टेयर, प्रार्थी कि सहखातेदारी भूमि विद्यमान है। उक्त आराजी में प्रार्थी के पिता स्व. गुमानसिह पुत्र विरदसिंह कि मृत्यु हो जाने के बाद प्रार्थी के नाम फौतेदगी नामान्तरणकरण दर्ज किया गया जिसमें मृतक गुमानसिंह के पुत्र "हनवन्तसिंह" यानि का प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में सहवन से हडमतसिंह इन्द्राज किया गया जबकी प्रार्थी का सही नाम "हनवन्तसिंह" दर्ज करना था। जिससे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी तैयार करते वक्त उक्त तमाम आराजीयात् में प्रार्थी का नाम हनवन्तसिंह के स्थान हडमतसिंह दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी को गलत नाम अंकित होने की जानकारी पुर्व में नही थी। प्रार्थी द्वारा वर्तमान में जमाबंदी प्राप्त कर ध्यानपुर्वक पढने से प्रार्थी को उक्त अशुद्धि की जानकारी हुई, जो अशुद्धि टेकनिकल मिसटेक होने से दुरस्त योग्य है। प्रार्थी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, टी.सी, इत्यादी में प्रार्थी का नाम हनवन्तसिंह दर्ज है लिहाजा राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी के नाम को दुरस्त करना न्यायसंगत होगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार कर उपरोक्त वाद ग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का नाम जरिये शुद्धि हडमतसिंह के स्थान पर हनवन्तसिंह दर्ज करने का आदेश फरमावे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस एवम् प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1. 2019(1) आर.आर.टी पेज नम्बर 758 राजस्व मण्डल, अजमेर दुल्हा खान बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2019

पेरोकार सरकार ने अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रानी के जवाब में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजी में हडमतसिह पुत्र गुमानसिंह कौम राजपुत, सहखातेदार दर्ज है। उपरोक्त भूमि पुर्व में पैतृक होकर पिता गुमानसिंह पुत्र विरदसिंह एवम् दादा विरदसिंह पुत्र लक्ष्मणसिह के नाम दर्ज थी। पिता व दादा की मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम हडमतसिंह पुत्र गुमानसिंह दर्ज किया गया जिसके प्रमाण नामान्तरकरण की नकल सलग्न है। पटवारी हल्का खौड कि रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम अन्य सभी सरकारी दस्तावेजो में हनवन्तसिह पुत्र गुमानसिंह दर्ज है एवम् गॉव में बोलचाल की भाषा में प्रार्थी को हडमतसिह के नाम से पुकारा जाने के कारण नामान्तरकरण दर्ज करते समय हडमतसिंह नाम ही दर्ज कर दिया गया। अतः प्रार्थी के दस्तावेज एवम् पटवारी हल्का कि रिपोर्ट को देखते हुए प्रार्थी का नाम हडमतसिंह के स्थान पर हनवन्तसिंह दर्ज किया जाना उचित है। यदि राजस्व

क्रमशः पेज 03 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant
Date: 2022.05.07 15:16:19 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हनवन्तसिंह दर्ज किया जाता है तो इससे कोई राज्यहित प्रभावित नही होता है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दसतवेजो का अवलोकन किया गया। जिससे यह जाहिर है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हनवन्तसिंह है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेज जैसे राशनकार्ड,आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, टी.सी में भी प्रार्थी का नाम हनवन्तसिंह दर्ज है। लिपिकीय त्रुटीवश राजस्व रेकर्ड में हनवन्तसिंह के स्थान पर हडमतसिंह नाम लिखा गया है। जो वर्तमान जमाबन्दी मे भी गलत दर्ज है। प्रार्थी को ग्रामीण बोलचाल कि भाषा में हडमतसिंह के नाम से संबोधित करते थे जिस कारण नामान्तरकरण में भी प्रार्थी का नाम यही दर्ज कर दिया गया और नामान्तरकरण पालना में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में भी यही नाम दर्ज हुआ। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी का नाम त्रुटीवश हडमतसिंह दर्ज हुआ है जिसे शुद्ध करना अपेक्षित एवम् उचित है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है वह भी हस्तगत प्रकरण में चस्पा होता है एवम् उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्व मण्डल ने भी यह प्रतिपादित किया है कि चुकि राजस्व रेकर्ड की इस गलती की ताईद पटवारी हल्का द्वारा की गई है। अतः प्रकरण में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत संधारणीय है।

धारा 136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार ऐसी लिपिकीय त्रुटी का शुद्विकरण राजस्व अभिलेख में किया जा सकता है। अतः पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रानी के जवाब एवम् रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजो के आधार पर मेरी विनम्र राय में प्रार्थी के प्रा–पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शुद्विकरण के जरिये हडमतसिंह के स्थान पर हनवन्तसिंह किया जाना विधिसंगत एंव उचित मानता हूँ। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के प्रा.पत्र में वर्णित आराजी मौजा ग्राम खौड, पटवार हल्का खौड, तहसील रानी के खसरा नम्बर 1031/4, रकबा 2.8072 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1149/1 रकबा 1.1730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164/4 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171/4 रकबा 3.4948 हैक्टेयर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.8552 हेक्टेयर; तथा खसरा नम्बर 1031/2 रकबा 2.8072 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1149/3 रकबा 1.1730 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164/2 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1171/2 रकबा 3.4948 हैक्टेयर, कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.8552 हैक्टेयर; तथा खसरा नम्बर 1148/[illegible] 6.8845 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.0566 हैक्टेयर ,खसरा नम्बर 1170 [illegible] 0.0809 हैक्टेयर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 10.9377 हैक्टेयर,सयुक्त कब्जा काश्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के हिस्से में, प्रार्थी का नाम 'हडमतसिंह' के स्थान पर 'हनवन्तसिंह' शुद्विकरण के जरिये दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रानी निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अमलदरामद करे। तहसीलदार रानी को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

08/03/22

सहायक कलेक्टर एवम्

उपखण्ड अधिकारी रानी

क्रमशः पेज 04 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:16:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08-03-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Kant Singh
Date: 2022.05.07 15:16:19 IST
Reason: SelfAttested

08/03/22
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी रानी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी